राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक प.5(1)(118)पीएसी/मिटींग/गबावि/2012 114136-168 जयपुर, दिनांक 30.8.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)

विषयः- एक ही प्रकृति के आक्षेप बार-बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः- वित्त(अंकेक्षण) विभाग का पत्र क्रमांक प.4(134) वित्त/अंकेक्षण/91 दिनांक 30.06.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग (अंकेक्षण अनुभाग) ने प्रासंगिक पत्र द्वारा एक ही प्रकृति के आक्षेप बार-बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः वित्त विभाग के पत्र दिनांक 30.06.2016 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु नियमानुसार अपेक्षित/ आवश्यक कार्यवाही करावें एवं जब भी जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा विभागों/राजकीय उपक्रमों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जावे तो परीक्षण के समय सूचनाओं को छिपाने का प्रयास नही किया जावे एवं तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर सही सूचना दी जावे। अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएँ उपलब्ध करावें, इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.02.2016 की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। कृपया इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें, अन्यथा की स्थिति में गंभीरता से लिया जाकर सम्बन्धित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.5(1)(118)पीएसी/मिटींग/गबावि/2012 114169-483 जयपुर, दिनांक 30.8.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त प्रभारी अधिकारी गण, मुख्यालय
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त
3. उप निदेशक(ए.सी.पी) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(स्मिता सारीन)
वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

C:\Users\Dell\Desktop\CAG\Gaban Letter.docx

परिपत्र

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

156

क्रमांक : प.4(134)वित्त/अंकेक्षण/91 जयपुर, दिनांक 30-6-2016

समस्त अति.मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय : एक ही प्रकृति के आक्षेप बार-बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

सचिव, राजस्थान विधानसभा ने दिनांक 17.05.2016 को माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के वैश्म में प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ आयोजित बैठक में की गयी चर्चा का कार्यवाही विवरण संलग्न कर निम्न अनियमितताओं की रोकथाम की कार्यवाही किये जाने हेतु ध्यान आकर्षित किया है –

1. महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के लेखों की जांच के पश्चात गठित किये गये आक्षेप बार-बार दोहराये जाते हैं। प्रधान महालेखाकार द्वारा ऐसे 88 विभागों एवं राजकीय उपक्रमों की सूची प्रस्तुत की है जिनमें विगत सात वर्षों से एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति हो रही है (सूची संलग्न)।
2. जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/ स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में परीक्षण के समय विभागों/राजकीय उपक्रमों द्वारा परीक्षण हेतु वांछित सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराने एवं छिपाये जाने का प्रयास किया जाता है।
3. अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के एक ही प्रकृति के आक्षेप बार-बार दोहराया जाना, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति को परीक्षण हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया जाना/तथ्यों को छिपाया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेप बार-बार दोहराये जाने, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने तथा जन लेखा समिति/ राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं तथ्यों को छिपाये जाने पर रोकथाम हेतु निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं –

1. एक ही प्रकृति के आक्षेपों को बार-बार दोहराया जाना यह दर्शाता है कि विभाग/राजकीय उपक्रम की कार्य प्रणाली में कोई न कोई कमी है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु विभागीय कार्य प्रणाली/प्रक्रिया/नियमों की समीक्षा की जाकर आवश्यकतानुसार संशोधन किए जावे तथा सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियो को इसकी पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पाबंद किया जावे।
2. जब भी जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा विभागों/राजकीय उपक्रमों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जावे तो परीक्षण के समय वांछित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास नहीं किया जावे एवं तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर सही सूचना दी जावे।
3. महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पूर्व में ही परिपत्र कमांक 13 (134) वित्त / अंकेक्षण/91 दिनांक 17.02.2016 जारी किया हुआ है जिसकी कड़ाई से पालना किया जाना अपेक्षित है।

कृपया इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गयी कार्यवाही से राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग को भी अवगत करावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

(आर.के.मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

(परिशिष्ठ-ख)

(Annexure-B)

Statement showing the irregularities repeated in Audit Reports (Civil/G&SS) for the years 2007-08 to 2013-14

1. Public Health Engineering Department

- Execution of Water Supply Schemes without ensuring reliable source of water in violation to the instructions issued by RWSSMB.
- Payment of Price Escalation Charges in Lump sum Contracts in violation to PWF&AR Rules.
- Award of work/commencement of work without providing dispute free land or acquisition of land. The objective of providing drinking water to the areas was also not achieved.
- Delay in Completion of Water Supply Schemes resulted in cost overrun and non-fulfillment of the objective for a long time.
- Irregular and unauthorized expenditure on execution of additional works in contravention of financial powers.
- Several deficiencies in regard to Quality of drinking water viz. shortfalls regarding water quality, disinfection of water and compliance to BIS standards were noticed.

2. Medical & Health Department

- Unauthorized and irregular diversion of funds under NRHM.
- Non-utilization of M..chines/Equipments/Buildings resulted in unfruitful expenditure.
- Due to weak monitoring health infrastructure was not strengthened despite availability of Central Assistance hence forth, funds lying idle.

3. Higher Education Department

- Short Realization of Affiliation Fee/Penalty from Private Colleges.

4. Social Justice & Empowerment Department

- Several Irregularities in reimbursement of Scholarship and fraudulent claims noticed repeatedly.

5. Medical Education Department

- Lack of monitoring and decisiveness of the Department resulted under-utilization of Hospital Building.

6. Tribal Area Development Department

- Lack of proper planning, monitoring and adequate instructions resulted in non-utilization of Central Assistance.

7. Finance Department

- Excess Payment of Pension.

8. Disaster Management & Relief Department

- Unauthorized Expenditure/Non-adherence to Norms of CRF funds.

9. Youth affairs and Sports Department

- Due to slackness of the Department sports infrastructure facilities could not be developed in the State.

(b)

Statement showing the irregularities repeated in Audit Reports (State Finances) for the years 2008-09 to 2014-15

1. Paras relating to Finance Department

- Advances from Contingency Fund
- Personal Deposit Account
- Delay in transfer of Rajasthan Buildings and Other Constructions Workers Welfare Fund and less utilization of Funds.

2. Para of Persistent savings relates to following Departments

- Art & Culture
- Agriculture
- Education
- Food & Civil supply
- Forest
- Industries
- Medical Education
- Medical and Health
- Public Works
- Revenue
- Social Justice & Empowerment
- State Excise
- Tourism
- Tribal Area Development
- Water Resources

पिछले 7 वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान पुनरावृत आक्षेपों के विषयों की विभागवार सूची

1. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

1. तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृतियों का अभाव ।
2. क्षतिपूर्ति शास्ती की राशि की वसूली का अभाव ।
3. अधूरे निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय ।
4. टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति में निर्धारित मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन ।
5. आपूर्तित पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने का अभाव ।
6. निर्माण कार्यों का सक्षम अधिकारियों के द्वारा भौतिक निरीक्षण करने का अभाव ।
7. स्टोर्स में आवश्यकता से अधिक सामान का रखा जाना इत्यादि ।

2.कृषि विभाग

1. अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव।
2. उर्वरक,बीज एवं रसायनों के नमूने अमानक पाये जाने पर दोषी फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही का अभाव।
3. विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटित बजट राशि के उपयोग का अभाव।

3. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्बन्धित विभिन्न P.D.S. वस्तुओं के भारत सरकार द्वारा दिये गये आवंटन के पूर्ण उठाव का अभाव।

4. सहकारिता विभाग

1. धारा 57(1)के तहत दर्ज प्रकरणों में वसूली का अभाव।
2. धारा 57 (2) में निर्णित प्रकरणों में वसूली का अभाव।
3. समितियों के ऑडिट फीस की वसूली का अभाव।

19. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

1. टच स्क्रीन इन्फोरमेशन किओस्क को काम मे न लेने से अनुपयोगी व्यय ।
2. अनुपयोगी भण्डार सामग्री के निस्तारण का अभाव ।
3. अस्थायी अग्रिमों के समायोजन का अभाव ।
4. बजट आवंटन से अधिक व्यय ।
5. अन्यत्र कार्यरत स्टाफ के वेतन एवं अन्य भत्तो का अनियमित भुगतान ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न – अनुलग्नक झ)

20. रजिस्ट्रार राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड मानसरोवर जयपुर

1. राज्य सरकार की अनुमति के बिना विकास शुल्क की वसूली ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न – अनुलग्नक ट)
2. अभिलेख उपलब्ध करवाने का अभाव ।

21. समेकित बाल विकास सेवायें विभाग

1. स्वयं सहायता समूहो को दी गई रिवॉल्विंग फण्ड राशि की वसूली का अभाव ।
2. मातृ समितियों को दिये गये अस्थायी अग्रिमों की वसूली का अभाव ।
3. पी.डी.खाते मे राशि अवरूद्ध पडी रहना ।
4. केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं अन्य योजनाओं की प्राप्त राशियों का उपयोग नही करने से अवशेष होना ।

22. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

1. पालनहार योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति को आवंटित बजट अवितरित रखने के कारण योजना का लाभान्वितो को पूर्ण लाभ दिये जाने का अभाव ।(सैम्पल पैरा की फोटोप्रति संलग्न – अनुलग्नक ठ)
2. अभिलेख प्रस्तुत करने का अभाव ।